रजिस्ट्रेशन संख्या :— R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :— के पी सिटी— 67 / 2021—23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा—विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :—
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127 / 204 'एस' जूही, कानपुर—208014
सम्पर्क सूत्र :— 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष — 45 ● अंक — 17 ● कानपुर 1 से 15 सितम्बर 2023 ● प्रधान सम्पादक — डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के अधिकृत मेडिकल इन्सटीट्यूटस / इन्सटीट्यूटस / स्टडी सेन्टर्स की मीटिंग सफ़लतापूर्वक सम्पन्न

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्षेत्र की अग्रणी संस्था बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए 4 जनवरी, 2012 को जो आदेश दिया है उसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि उपरोक्त संस्था पर शिक्षा एवं प्रैक्टिस पर सरकार की कोई रोक नहीं है, शासन द्वारा आयुष के सभी विभागों को पत्र लिखकर यह सूचित कर दिया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी किया जा चुका है इसलिए उनके कार्य करने में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाये।

इसके पूर्व 21 जून, 2011 को देश के माने जाने वाले सबसे पुराने संगठन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया (**EHMAI**) को भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के आदेश संख्या — **C.30011/22/2010-HR** दिनांक 21—06—2011 द्वारा संदर्भ में आदेशित किया गया है कि भारत के सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ—साथ केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी स्वास्थ्य सचिवों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने — अपने राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्ति करायें, इस आदेश में केन्द्र सरकार द्वारा अपने पूर्व में दो आदेशों क्रमशः 25—11—2003 एवं 05—05—2010 को प्रेषित करते हुये स्पष्ट रुप से कहा है कि इन आदेशों को केन्द्र सरकार का निर्देश माना जाये।

ज्ञातव्य हो कि केन्द्र सरकार का 25 नवम्बर, 2003 वही आदेश है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित सभी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा, चिकित्सा एवं प्रैक्टिस के लिये दिशा निर्देश है, 05—05—2010 का आदेश इसकी पुष्टि के लिये जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा एवं चिकित्सा पूर्व की भाँति चलती रहेगी बशर्ते आदेश दिनांक 25—11—2003 का पालन करेगी। अब यह स्पष्ट है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी शिक्षा एवं चिकित्सा भारत सरकार के आदेश दिनांक 21 जून, 2011 के अनुसार अनवरत तब तक चलती रहेगी जब तक भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कोई नया निर्णय नहीं लेगी, सरकार के इन आदेशों से स्वतः स्पष्ट है कि किसी चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने हेतु जो मापदण्ड हैं, इन आदेशों के निर्देशानुसार कार्य करने से वह मापदण्ड पूर्ण होते हैं जिनकी सरकार को आवश्यकता है।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति इस विषय पर गम्भीरता के साथ 28 फ़रवरी, 2017 से निरन्तर विचार कर रही है, जिसकी अनेकों कार्यवाहियों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अब सम्भवतः सरकार की मनशा है कि वह 21 जून, 2011 को जारी आदेश के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान एवं विकास के लिये जो आदेश दिया था उसी के आलोक में आगे की रणनीति तय की जायेगी।

क्या आप जानते हैं ?

✓सारे मार्ग खुले हुये हैं आवश्यकता है आप अपनी नींद से जागें
✓भारत सरकार ने आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा, प्रैक्टिस के साथ—साथ अनुसंधान करने के भी अवसर प्रदान किये हैं
✓उ0प्र0 सरकार ने आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा, प्रैक्टिस का पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया है

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के अधिकृत Medical Institutes/Institutes एवं Study Centres के प्रमुखों के साथ चेयरमैन व रजिस्ट्रार

इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फतेहपुर एवं B.E.H.M.,U.P. के तत्वधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर सम्पन्न

इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फतेहपुर एवं काउंट मैटी मेमोरियल क्लीनिक खम्भापुर फतेहपुर व जनपद कार्यालय बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 (उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग—6) के संयुक्त तत्वाधान में आज दिनांक 27 अगस्त, 2023 दिन रविवार को विनोबा नगर फतेहपुर में एक विशाल निःशुल्क इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन जिला प्रभारी B.E.H.M.,U.P. के EH डॉ0 वकील अहमद द्वारा किया गया, शिविर का शुभारंभ सभासद अखिलेश कुमार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जनक डॉ0 मैटी के चित्र में माल्यार्पण करके किया, डॉ0 अनुराग श्रीवास्तव चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फतेहपुर की गरिमामयी उपस्थिति में शिविर का शुभारंभ हुआ, श्री कृष्ण आदर्श विद्या मंदिर दिव्यांग एवं पुनर्वासन विद्यालय खंभापुर के छात्रावास अधीक्षक मनीष यादव एवं चेतन यादव का योगदान विशेष एवं सराहनीय रहा, प्रातः 9:00 बजे से शुरू हुये इस शिविर में 67 रोगियों का पंजीयन कर, दवा का वितरण किया गया, जागरूकता एवं स्वच्छता के कमी के कारण चर्म रोग के मरीज अधिक पाये गये। डॉ0 अनुराग श्रीवास्तव ने लोगों को पानी की बर्बादी रोकने के तरीके बताए उन्होंने कहा कि जल है तभी हमारा कल है, डॉ0 वकील अहमद ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया उन्होंने कहा कि यदि हम अपने आसपास साफ सफाई रखें तो आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी।

इस अवसर पर EH डॉ0 देवानंद अमौली EH डॉ0 विपाशा अमौली, EH डॉ0 हरिप्रसाद गुप्ता, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य सुरेश श्रीवास्तव, अनुज कुमार श्रीवास्तव, गोरेलाल, वीरन गिहार, विनीत गिहार व गोल्डी सहित सैकड़ो लोग उपस्थित रहे।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 एवं इण्डियन रेडक्रॉस सोसाइटी फतेहपुर के सौजन्य से आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर का दृश्य

सच्चाई पंजीयन की

प्रदेश में जो भी चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करेगा वह अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अवश्य करता था, यद्यपि आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अब मुख्य चिकित्साधिकारी सिर्फ एलोपैथी चिकित्सकों का पंजीयन कर रहे हैं, आयुर्वेदिक–युनानी के लिए आयुर्वेदिक क्षेत्राधिकारी तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन जिला होम्योपैथिक अधिकारी कर रहे हैं परन्तु जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए किसी नई व्यवस्था का निर्माण नहीं होता है, तब तक शासन द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के प्रभारी अधिकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कार्यालय में ही करना है, जिन जनपदों में प्रभारी अधिकारी का कार्यालय नहीं है वहां के चिकित्सक क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करेंगे।

अब प्रश्न यह उठता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में कौन चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय हेतु पात्र है और वह कौन से चिकित्सक हैं जिन्हें अपनी पात्रता सिद्ध करनी है, वैसे हमने अभी तक यह भेद नहीं किया, आप लोगों को याद होगा कि 4 जनवरी, 2012 को जब उत्तर प्रदेश शासन ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए शासनादेश जारी किया था उसके बाद पहली ही पत्रकार वार्ता में हमने कहा था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबके लिए है, हम अपने इस वाक्य पर अभी भी अडिग हैं।

लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं वह हमें विवश कर रही हैं कि हम केवल अधिकृत चिकित्सकों का संरक्षण करें इस वस्तुस्थिति से प्रदेश का हर संस्था संचालक परिचित है कि प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान का कार्य करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है ?अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए विभिन्न संस्था संचालकों द्वारा जो प्रयास किये गये उससे हर व्यक्ति परिचित है और इन प्रयासों से जो परिणाम प्राप्त हुए वह भी किसी से छिपे नहीं हैं, अधिकारिता के लिए 22 जनवरी, 2015 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिस ढंग से प्रचार किया गया उसकी सच्चाई भी धीरे– धीरे लोगों के सामने आने लगी है पिछले दिनों कुछ जनपदों के अधिकारियों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों की जांच का कार्य प्रारम्भ किया और अधिकारियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय करने की अधिकारिता के सम्बन्ध में जानकारी चाही, यद्यपि हर अधिकारी इस बात से भली–भाँति परिचित है कि प्रदेश में सिर्फ बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए ही शासनादेश जारी है और इसी संस्था से शिक्षित, प्रशिक्षित एवं पंजीकृत चिकित्सक ही चिकित्सा व्यवसाय हेतु अधिकृत हैं, फिर भी अधिकारी जो मांगे उसे उपलब्ध कराना चाहिये तभी अधिकारी संतुष्ट होता है, बोर्ड ने हर अधिकारी को संतुष्ट कर रखा है कुछ जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों ने बाकायदा यह लिख कर स्वीकार किया है कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से पंजीकृत चिकित्सक ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा से चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है, जैसा कि हमारी परम्परा है कि हम कुछ भी गोपनीय नहीं रखते हैं, हमने इन पत्रों को सार्वजनिक किया, लोगों ने ऐसे प्रचारित किया कि मानों 4 जनवरी, 2012 का आदेश प्रदेश के सभी चिकित्सकों के ऊपर प्रभावी है, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के हितों से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं सच्चाई कभी छिपती नहीं है और अधिकारों पर अतिक्रमण या बलात अधिकारी बनना कभी भी लाभप्रद नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इस तरह के प्रयास पहली बार किये गये हैं उसके परिणाम जो हुए वह प्रयास करने वाला अच्छी तरह से जानता है, इसलिए अभी भी समय है कि लघु मार्ग छोड़कर कार्य करने की आदत डालें हमारी लड़ाई सम्पूर्ण इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए होती है और हमारा उद्देश्य सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथों के कल्याण का है।

अपने और पराये की भावना से ऊपर उठकर कार्य करना हमारी संस्कृति में है, इसके उपरान्त भी यदि कोई व्यर्थ का प्रयास करेगा तो परिणाम पूर्ववत ही होंगे।

पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र (प्रारुप)

(समस्त अधिकृत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं प्रतिष्ठानों हेतु)

यहीं पर आवेदक अपनी नवीनतम फोटो चिपकायें

सेवा में,
प्रभारी अधिकारी,
जिला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय,
जनपद ....
उत्तर प्रदेश

महोदय,

मेरी क्लीनिक/चिकित्सा प्रतिष्ठान, जिसका विवरण निम्नवत है, का पंजीकरण करने का कष्ट करें :–

1. चिकित्सा प्रतिष्ठान, का प्रकार :– ....
 (अ) चिकित्सालय, निजी चिकित्सक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने हेतु।
 (ब) अधिष्ठान व्यक्तिगत अथवा फर्म, सोसायटी, ट्रस्ट, प्राइवेट लि0 या पब्लिक लि0 कम्पनी द्वारा संचालित है :– ....

2. क्लीनिक/प्रतिष्ठान का पता :– ....

3. प्रदत्त चिकित्सा सेवायें :– ....

4. पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सक/चिकित्सकों का विवरण :–
(जो कार्यरत/नियुक्त/लगे हुये हैं।)

क्रम सं0	नाम	पिता का नाम	योग्यता एवं उत्तीर्ण वर्ष	संस्थान का नाम	पंजीयन सं0	अंशकालिक/पूर्णकालिक

5.कार्यरत पैरा मेडिकल्स के नाम :–

क्रम सं0	नाम	पिता का नाम	योग्यता	संस्थान का नाम	पंजीयन सं0	अंशकालिक/पूर्णकालिक

संलग्नक :–
1. योग्यता (डिग्री, डिप्लोमा/प्रमाण पत्र) एवं पंजीकरण प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड की स्वः प्रमाणित प्रतियां।
2. क्लीनिक/चिकित्सा प्रतिष्ठान को संचालित करने वाले अथवा संस्थान के प्रभारी का समर्थन में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र।

दिनांक :– ______
स्थान :– ______
दूरभाष/मोबाइल नं0 :– ______
व्हाटसएप नं0 :– ______
ई–मेल :– ______

आवेदक के हस्ताक्षर
(चिकित्सा सेवायें प्रदान करने वाले/संस्थान के प्रभारी)
नाम :– ______
पता :– ______

शपथ–पत्र

(नोटरी द्वारा प्रमाणित)

यहीं पर शपथी अपनी नवीनतम फोटो चिपकायें

समक्ष
प्रभारी अधिकारी,
जिला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय,
जनपद ....
उत्तर प्रदेश

मैं .... आयु :– वर्ष............माह.............दिन..............
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी ....
.... का हूँ तथा शपथपूर्वक निम्न बयान करता /करती हूँ :–

1– यह कि शपथी बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 से एक रजिस्टर्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक है जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 .... तथा दिनांक .... तक वैध है पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है।

2– यह कि शपथी अस्पताल/क्लीनिक/प्रतिष्ठान में पूर्णकालिक/अंशकालिक/ऑन कॉल कार्यरत है।

3– यह कि शपथी किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी/अन्य प्रतिष्ठान में पूर्णकालिक /अंशकालिक /ऑन कॉल कार्यरत नहीं है (यदि कार्यरत है तो सम्पूर्ण विवरण दें) ....

4– यह कि शपथी उपरोक्त प्रतिष्ठान से जब भी कार्य छोड़ेगा इसकी सूचना प्रतिष्ठान के स्वामी तथा आपके कार्यालय में एक माह पूर्व दे देगा/देगी।

5– यह कि शपथी बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा जारी आचार संहिता का पालन करेगा/करेगी तथा उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2914/पांच–6–10–23 रिट/11 दिनांक 04 जनवरी, 2012 एवं शासनादेश संख्या 2241/पाँच–6–2015–103 जी/15 दिनांक 18 सितम्बर, 2015 तथा आयुष अनुभाग–1 कार्यालय ज्ञाप संख्या 1297/71 –आयुष–1–2016–डब्लू–283/2014 दिनांक 03 अगस्त, 2016 का पूर्ण अनुशासन के साथ पालन करेगा/करेगी।

6– यह कि शपथी ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन कर ऐसा प्रचार नहीं करेगा/करेगी जिससे जनता गुमराह हो।

स्थान :– ....

शपथी

दिनांक :– ....

मैं शपथी .... उपरोक्त शपथपत्र की धारा 1 से 6 तक सत्यापित करता/करती हूँ जो मेरे निजी ज्ञान से सत्य है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है अगर कोई भी असत्य तथ्य संज्ञान में आया तो किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिएं शपथी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी। आज दिनांक ______को अपने हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया।

स्थान :– ....

शपथी

दिनांक :– ....

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

8— लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ—226001

प्रशा0 कार्या0 127/204 "एस" जूही, कानपुर—208014

जनपदीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रभारियों की सूची

क्रम	फोटो	नाम	जनपद	पता	मोबाईल नम्बर
01		EHडा0 गौरव द्विवेदी ID-UP74	उन्नाव	469/2 व्रन्दावन कालोनी, उन्नाव—209801	9935332052
02		EHडा0 रमेश कुमार द्विवेदी ID-UP61	रायबरेली	छजलापुर,आई0टी0आई0, रायबरेली—229010	9307885280
03		EHडा0 अमित कुमार विश्वकर्मा ID-UP46	लखीमपुर	ओदरहना, महेबागंज, लखीमपुर—261506	7398153468
04		EHडा0 सैयद नदीम हुसैन ID-UP37	जौनपुर	97—ए ओलन्दगंज, राजबहादुर, कटरा, जौनपुर—222001	8299202529
05		EHडा0 सैयद नदीम हुसैन ID-UP29	गाज़ीपुर	97—ए ओलन्दगंज, राजबहादुर, कटरा, जौनपुर—222001	8299202529
06		EHडा0 सैयद नदीम हुसैन ID-UP18	चन्दौली	97—ए ओलन्दगंज, राजबहादुर, कटरा, जौनपुर—222001	8299202529
07		EHडा0 सैयद नदीम हुसैन ID-UP75	वराणासी	97—ए ओलन्दगंज, राजबहादुर, कटरा, जौनपुर—222001	8299202529
08		EHडा0 विनय कुमार श्रीवास्तव ID-UP49	महाराजगंज	हमीद नगर, नौतनवां, महाराजगंज—273164	9453914181
09		EHडा0 विनय कुमार श्रीवास्तव ID-UP70	सिद्धार्थ नगर	हमीद नगर, नौतनवां, महाराजगंज—273164	9453914181
10		EHडा0 विनय कुमार श्रीवास्तव ID-UP31	गोरखपुर	हमीद नगर, नौतनवां, महाराजगंज—273164	9453914181
11		EHडा0 मुहम्मद इसरार खान ID-UP26	फिरोज़ाबाद	एरांव रोड, सिरसागंज, फिरोजाबाद—283151	9634503421
12		EHडा0 नेम सिंह बघेल ID-UP35	हाथरस	विवेक क्लीनिक,आगरा बाईपास रोड, सादाबाद, हाथरस—281306	8791443887
13		EHडा0 गणेश सिंह ID-UP32	हमीरपुर	सुमेरपुर, सागर रोड, हमीरपुर	9838714509
14		EHडा0 गया प्रसाद ID-UP36	जालौन	सुजानपुर, बरखेरा, जालौन—285203	8874429538
15		EHडा0 बृज किशोर वर्मा ID-UP02	अलीगढ़	गली न0—2, गोविन्द नगर, नौरंगाबाद, अलीगढ़—202001	9639520078
16		EHडा0 वकील अहमद ID-UP25	फतेहपुर	खम्बापुर, फतेहपुर—212601	8115210751
17		EHडा0 अयाज़ अहमद ID-UP52	मऊ	निकट पुराना ग्रामीण बैंकए काज़ी टोला,वलीदपुर, मऊ—276405	9305963908
18		EHडा0 अयाज़ अहमद ID-UP06	आज़मगढ़	निकट पुराना ग्रामीण बैंकए काज़ी टोला,वलीदपुर, मऊ—276405	9305963908
19		EHडा0 अयाज़ अहमद ID-UP09	बलिया	निकट पुराना ग्रामीण बैंकए काज़ी टोला,वलीदपुर, मऊ—276405	9305963908
20		EHडा0 रश्मी पत्नी श्री दीप नारायण ID-UP41	कानपुर देहात	आस्तिक मुनी मंदिर के सामने, कोरियाँ, कानपुर देहात—209206	6394083854
21		EHडा0 मो0 अखलाक़ ID-UP22	इटावा	128 — कटरा पुर्दल खान, इटावा —206001	7417775346
22		EHडा0 सैयद तुफ़ैलुर रहमान ID-UP23	अयोध्या (फैज़बाद)	सादात , रौनही, अयोध्या (फैज़बाद)—224182	9956081159
23		EHडा0 जीना अर्शद ID-UP50	मैनपुरी	मोहल्ला फर्रास, पोस्ट घिरोर, मैनपुरी—205121	7078111447

शेष अंतिम पृष्ठ पर

जनपद स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रभारियों की सूची

पेज 3 से आगे

क्रम	फोटो	नाम	जनपद	पता	मोबाईल नम्बर
24		EHडा0 श्रीमती मौहरश्री ID-UP01	आगरा	विवेक क्लीनिक,बमान रोड, पूठा चौराहा, पोस्ट–बाससौना, आगरा–283126	7500375933
25		EHडा0 बाबू खाँ फारुकी ID-UP21	एटा	अलशिफा हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लीनिक, लोहा मण्डी, अकबरपुर हवेली, जलेसर, एटा	9219775696
26		EHडा0 गुलशन बानो ID-UP05	औरैय्या	पुत्री श्री सपनीउल्ला खान, 128 – कटरा पुर्दल खान, इटावा –206001	7417775346
27		EHडा0 राम कुमार सिंह ID-UP17	बुलन्द शहर	खुर्जा, बुलन्द शहर–203131	9411003464
28		EHडा0 सुमित कुमार शर्मा ID-UP54	मेरठ	आई ब्लॉक, गंगा नगर, मेरठ–250001	9760033082
29		EHडा0 साहब सिंह बुन्देला ID-UP38	झांसी	वार्ड नम्बर–1, टहरौली किला, झांसी–284202	9450073220
30		EHडा0 अरुण त्यागी ID-UP33	हापुड़	असोड़ा रोड, हापुड–245101	7983052913
31		EHडा0 पुष्पा सिंह कुशवाहा ID-UP08	बहराइच	152– बशीरगंज, बहराइच–271801	9451758141

नोट– जिन जनपदों में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रभारी नहीं हैं वहां के चिकित्सक जनपदीय पंजीयन हेतु अपने निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय 2 हैं और वे निम्न मण्डलों के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का जनपदीय पंजीयन करते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय

कानपुर
बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0
127/204 "एस" जूही,
कानपुर–208014

सम्बद्ध मण्डल

कानपुर, चित्रकूटधाम, झाँसी, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, प्रयागराज, विन्ध्यांचल एवं वाराणसी

लखनऊ
बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0
8– लाल बाग, कमला शर्मा मार्ग,
लखनऊ–226001

सम्बद्ध मण्डल

लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर एवं आज़मगढ़

यदि कोई असुविधा हो तो हेल्प लाइन नम्बर 9415074806 अथवा 7317590784 अथवा 9415486103 अथवा 9450153215 पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

प्रवेश सूचना

- **F.M.E.H.** दो वर्ष (चार सेमेस्टर) – इण्टरमीडियेट/C.E.H. अथवा समकक्ष
- **P.G.E.H.** दो वर्ष – G.E.H.S. अथवा चिकित्सा स्नातक
- **A.C.E.H.** एक सेमेस्टर – किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठ्क्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत/सूचीकृत चिकित्सक)
- **G.E.H.S.** चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) – 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष
- **C.E.H.** दो वर्ष – हाई स्कूल अथवा समकक्ष

विस्तृत जानकारी हेतु बोर्ड की अधिकृत संस्थाओं से सम्पर्क करें अथवा www.behm.org.in पर log in करें।

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–14 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया गया।